

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

-::कार्यालय-आदेश:: -

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प. 7(39) शिक्षा-2/2016 जयपुर दिनांक 06.12.17 की पालना में विभाग में एन.आई.एस. योग्यता अर्जित शारीरिक शिक्षकों की कमी के कारण (कोच) के रिक्त चल रहे पदों को दृष्टिगत रखते हुए विभाग की आवश्यकतानुसार वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक-एफ. 12(6) एफ.डी./रूल्स/2009/ दिनांक 01.12.15 द्वारा प्रदत्त शक्तियां के अनुसरण में श्रीमती जगदीश कौर सैनी, से.नि. प्रशिक्षक-एथलेटिक्स राबाउमावि मालवीय नगर, जयपुर की सेवाएं कोच (एथलेटिक्स) के पद पर राजस्थान सेवा (पेंशन) नियम, 1996 के नियम-164(क) के अन्तर्गत वर्तमान शैक्षिक सत्रान्त अथवा नियमित कार्मिक उपलब्ध होने तक, जो भी पहले हो, समेकित पारिश्रमिक पर संविदा पुनर्नियुक्ति पर सेवाएं लिये जाने हेतु कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक-एफ. 17(10) डी.ओ.पी./ए-2/94 दिनांक 10.02.16 में वर्णित शर्तों के अध्यक्षीन स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।



(नथमल डिलेल)


आई.ए.एस.

निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/सी-5/संविदा/जगदीश कौर/2016-17 दिनांक 15/12/17
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. संयुक्त शासन सचिव शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर
2. उपनिदेशक (माध्यमिक शिक्षा) जयपुर
3. जिला शिक्षा अधिकारी (मा) प्रथम जयपुर
4. प्रधानाचार्य राबाउमावि मालवीय नगर, जयपुर
5. श्रीमती जगदीश कौर सैनी
6. रक्षित पत्रावली

✓ कंप्यूटर हाजा



संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर